

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: 5(1) चिस्वा/2/2024/पी-23138

जयपुर, दिनांक:

**—:आदेश:—**

डॉ पंकज पाण्डे, (जन्मतिथि 05.08.1965) प्रमुख विशेषज्ञ (नेत्र) उप जिला चिकित्सालय परबतसर नागौर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50(1) के तहत दिनांक 11.02.2024 से एतद्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती हैं।

डॉ पंकज पाण्डे के विरुद्ध:—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16/17 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

राज्य पाल की आज्ञा से,

(रामकिशोर मीणा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज. जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय, परबतसर, नागौर।
4. डॉ पंकज पाण्डे, प्रमुख विशेषज्ञ (नेत्र) उप जिला चिकित्सालय परबतसर, नागौर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

RajKaj Ref  
5581676

Document certified by RAMKISHORE MEENA  
<MEDICALDEPARTMENTGROUP@GMAIL.COM>

Digitally Signed by Ramkishor  
Meena  
Designation: Deputy Secretary To  
Government  
Date :09-02-2024 01:51:10